संख्या-70/2026/I-1303098/डी-69/38-2-2026

001-**38-2002(002)/2/2024**

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 21 अप्रैल, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-20/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0(ग्रेच्युटी)/2026-27, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्ष- "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 6500.00 लाख (रूपये पैंसठ करोड़ मात्र) स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-04/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण-वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 को दी जायेगी।

(3) वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समर्पित कर दी जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा तथा आंकडों की शुद्वता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश का होगा।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियम संगत व्यय एवं निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) उक्त धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 65,00,00,000 (रुपये पैंसठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2501068000400 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3

8- ग्राम्य विकास अनु0-5/8

9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in